कार्यालय, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश–पत्रक

वादी .... रुखसाना कुमारी पिता- मदुक वर्णवाल, मौजा- तेलो खाता सं-100 प्लॉट-7600

–बनाम–

प्रतिवादी .... डीलू महतो, पोरवेन्दु महतो पिता- डगु महतो

जन आवेदन सं0 .... 423 दिनांक- 18/07/2023

अंचल – चन्द्रपुरा। जिला – बोकारो।

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	मंतव्य
14/09/23	आवेदिका रुखसाना कुमारी पिता- मदुक वर्णवाल मौजा तेलो, चन्द्रपुरा जिला- बोकारो ने आवेदन दिया है कि मेरे पूर्वज बरखौरी राम पिता- सुकर राम खाता नं०-100 प्लॉट नं०-7600 रकवा-55.5 डी० ऑनलाइन जमाबन्दी में नाम दर्ज है, जिसका हमें ऑनलाइन लगान रसीद भी निर्गत हो रही है। किन्तु किसी कारण वश हमारे जमाबन्दी में डीलू महतो, पोरवेन्दु महतो पिता- डगु महतो का भी नाम गलत दर्ज हो गया है, जो ऑनलाइन पंजी-II पृष्ठ खोलने से दिखाई पड़ती है। आवेदिका द्वारा दिये गये आवेदन की जाँच संबधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक चन्द्रपुरा से कराई गई है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है, कि आवेदिका रुखसाना कुमारी के आवेदन में वर्णित भूमि मौजा तेलो के खाता नं०-100 प्लॉट नं०- 7600 रकवा- 55.5 डी० भूमि रैयती खाते की है। यह भूमि आवेदिका के दादा बरखौरी राम के नाम से केवाला सं०- 1114 दिनांक-12/02/54 दर्ज है, तथा online जमाबंदी के ज०सं०-11/04 में इसकी जमाबंदी दर्ज है। इस जमाबंदी में डीलू महतो, पोरवेन्दु महतो पिता- डगु महतो का भी नाम दर्ज है। जिसका खाता नं०-36, प्लॉट सं० रकवा- 30.5 डी० भूमि दर्ज है। आवेदिका ने डीलू महतो, पोरवेन्दु महतो वगै० का नाम हटाने का अनुरोध किया है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में हितबद्ध संबधित कागजात के साथ अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक- 06/10/23 को अपना पक्ष रखें। नोटिस निर्गत करें। [signature] 14-9-23 अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा	

06/10/23 अभिलेख उपस्थापित।
उभय पक्ष उपस्थित, प्रतिवादी के द्वारा जमीन का कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की माँग की गई है
अभिलेख दिनांक- 27/10/23 को रखें
WB 06/10/23
अंचलाधिकारी
चन्द्रपुरा

27/10/23 अभिलेख उपस्थापित।
वादी उपस्थित, प्रतिवादी अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक- 10/11/23 को रखें।
नोटिस निर्गत करें।
WB 27.10.23
अंचलाधिकारी
चन्द्रपुरा।

24/11/23 अभिलेख उपस्थापित।
वादी उपस्थित, प्रतिवादी अनुपस्थित।
सरकारी कार्य में व्यस्तता के कारण अधोहस्ताक्षरी के द्वारा न्यायालय का सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक- 30/01/24 को रखें।
नोटिस निर्गत करें।
WB 24/11/23
अंचलाधिकारी
चन्द्रपुरा।

30/01/24 अभिलेख उपस्थापित।
वादी उपस्थित, वादी द्वारा समय की माँग की गई, ताकि जमीन का कागजात अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।
WB 30/01/24
अंचलाधिकारी
चन्द्रपुरा

13/03/24 अभिलेख उपस्थापित।
उभय पक्ष उपस्थित।
प्रतिवादी द्वारा 30 दिन का समय की माँग की गई है, ताकि मूल कागजात सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। समय दी जाती है।

अभिलेख दिनांक-15/03/2024 को रखें।

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

15/3/24
20/11/24 अभिलेख उपस्थापित किया गया।
उभय पक्ष अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 9/12/24 को रखें।

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा

09/12/24 अभिलेख उपस्थापित किया गया।
आवेदिका खुशबू कुमारी उपस्थित।
पीठासीन पदाधिकारी राजस्व बैठक हेतु मुख्यालय से बाहर हैं।
अभिलेख दिनांक 18/12/2024 को रखें।

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा

18/12/24 अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदिका खुशबू कुमारी उपस्थित है। अभिलेख दिनांक 08.01.25 को रखें।

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा

08-01-25 अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदिका खुशबू कुमारी उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित।

आवेदिका खुशबू कुमारी द्वारा पंजी II ~~offline~~ online (~~ऑफलाईन~~) दाखिल किया गया, जिसमें पंजी II के भाग सं०-04, पृष्ठ सं०-11 में डोलू महतो, योगेन्द्र महतो पिता- जगु महतो तथा बरखोरी राम पिता शुकर राम दर्ज है।

अतः द्वितीय पक्ष को उपरोक्त ऑनलाईन पंजी II में अंकित खाते से संबंधित दाखिल कागजात / दस्तावेजों के साथ दिनांक 31.01.25 को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 31/01/25 को रखें।

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा

31/01/25 अभिलेख उपस्थापित।
द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त हुआ, जो अभिलेख के साथ संलग्न है।
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 12/03/25 को रखें।

31/01/25

12/03/25 अभिलेख उपस्थापित।
द्वितीय पक्ष नोटिस तामिला के बावजूद अनुपस्थित। यह अभिलेख दिनांक 12/09/23 से चल रहा है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। रा० उप० नि० एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा तेलो के खाता सं0-100 प्लॉट सं0 7600 रकबा 55.5 डी० भूमि रैयती खाते की है जो आवेदिका के दादा बरखोरी राम के नाम से केवाला सं0 1114 दि0 12.2.1954 द्वारा क्रय की गयी है। हल्का में उपलब्ध जमाबंदी पंजी-II के पृष्ठ सं0 171/4 में उक्त भूमि की जमाबंदी कायम है एवं online पंजी-II के पृष्ठ सं0 11/4 भी इसकी जमाबंदी दर्ज है। उक्त online जमाबंदी में डीलू महतो, योगेन्दु महतो का नाम भी दर्ज है जिसका खाता सं0 36 प्लॉट सं0-0 रकबा 30.5 डी० भूमि दर्ज है। आवेदिका द्वारा डीलू महतो, योगेन्दु महतो के नाम हटाने हेतु अनुरोध किया है।

रा० उप० नि० एवं अं० निरीक्षक ने पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजातों की मांग कर नाम हटाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया है। अतः प्रतिवेदन के आलोक में अभिलेख खोलकर पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग की गई। द्वितीय पक्षकार कई बार नोटिस निर्गत होने पर कार्यालय आये एवं कागजात गुम होने, कभी न्यायालय में जमा रहने, कभी दूसरे पास होने का बात कहते रहे तथा कभी भी अपने दावे का कागजात प्रस्तुत नहीं किये। दिनांक 13/02/24 को द्वितीय पक्ष के कैलाश प्रसाद एवं रामकिशुन महतो कार्यालय में उपस्थित हुए एवं कागजात उपलब्ध कराने हेतु 30 दिन का समय मांगा। उन्हें समय दिया गया। समय देने के बावजूद उनके द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। सुनवाई के कई तिथि में अनुपस्थित रहने पर पुनः इस कार्यालय के प्रोसेस सं० 33 दिनांक 10/01/25 से नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के बाद भी द्वितीय पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष को इस वाद में कोई रुचि नहीं है और न ही उनके पास कोई वैध कागजात उपलब्ध है। इस प्रकार प्रथम पक्ष के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2025.04.28 12:46:37 +05:30
Location: 192.168.1.34